न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 293/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/414)

वादी	बनाम प्रतिवादी
1. हरपिन्द्र कौर पुत्री चड सिंह पत्नी जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एफ एफ तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. चड सिंह पुत्र वीर सिंह जाति जटसिख निवासी 24 ओ गुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर। 2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:— 11.10.2023

उपस्थित: 1.श्री सतीश कुमार अरोडा अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए

——निर्णय—— दिनांक : 14.06.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 22 ओ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 32/28 के मुरब्बा नम्बर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 38/1, 38/2, 38/3 की कुल 34.914 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 चड सिंह के नाम 0.542 हैक्टेयर भूमि व राजस्वं ग्राम 24 ओ, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 119/120 के मुरब्बा नम्बर 34, 35, 37 की कुल 13.231 हैक्टेयर भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 1 चड सिंह के नाम 0.320 हैक्टेयर भूमि तथा राजस्व ग्राम 24 ओ, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 32/32 के मुरब्बा नम्बर 43 की 2.454 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 चड सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादिया की माता प्रतिवादी संख्या 1 चड सिंह की पत्नी गुरमीत कौर का देहान्त हो चुका है। वादिया प्रतिवादी चड सिंह की एकमात्र पुत्री है। इसके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है। वादिया के पिता चड सिंह को उक्त भूमि जरिए विरास्तन इन्तकाल संख्या 452 दिनांक 25.08.2004 व 153 दिनांक 25.08.2004 से प्राप्त हुई है। जो हिन्दू खानदान की जद्दी जायदाद है। जिसमें वादिया अकेली कानूनन वारिस होने से प्रतिवादी के साथ बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा भूमि प्राप्त करने की अधिकारी है। आज से 5 रोज पूर्व वादिया ने प्रतिवादी संख्या 1 के पास जाकर निवेदन किया कि उक्त भूमि में से मेरे हिस्सा की भूमि मुझे दे देवें एंव उक्त भूमि को खूर्द बुर्द ना करे, तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादिया को राजस्व ग्राम 22 ओ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 32/28 के मुरब्बा नम्बर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 38/1, 38/2, 38/3 की कुल 34.914 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 चड सिंह के नाम दर्ज 0.542 हैक्टेयर भूमि व राजस्व ग्राम 24 ओ, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 119/120 के मुरब्बा नम्बर 34, 35, 37 की कुल 13.231 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 चड सिंह के नाम दर्ज 0.320 हैक्टेयर भूमि व राजस्व ग्राम 24 ओ, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 32/32 के मुरब्बा नम्बर 43 की 2.454 हैक्टेयर भूमि में से 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश होने के कारण हस्तगत प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई। वकील वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श-1 चक 22 ओ ए के इन्तकाल संख्या 153 दिनांक 25.08.2004 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-2 चक 24 ओ के इन्तकाल संख्या 452 दिनांक 25.08.2004 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-3 राजस्व ग्राम 22 ओ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 32/28 की प्रति, प्रदर्श-4, प्रदर्श-5 राजस्व ग्राम 24 ओ, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ. नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 119/120 की प्रति, प्रदर्श-6 राजस्व ग्राम 24 ओ, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 32/32 की प्रति, प्रदर्श-7ए आधार कार्ड की छायाप्रति, प्रदर्श-8ए अंकतालिका कक्षा 2 की छायाप्रति, प्रदर्श- 9ए अंकतालिका कक्षा 8 की छायाप्रति, प्रदर्श-10ए अंकतालिका कक्षा 6 की छायाप्रति, स्वंय वादिया हरपिन्द्र कौर का साक्ष्य शपथपत्र, पेश किया। जो सामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 1 की एकपक्षीय कार्यवाही होने के कारण जिरह प्रतिवादी बन्द की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए। साक्ष्यप्रतिवादी बन्द की गई।

3. एकपक्षीय बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादिया, शपथ पत्र का अध्ययन किया। वादिया अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 22 ओ ए के इन्तकाल संख्या 153 दिनांक 25.08.2004 की प्रमाणित प्रति, चक 24 ओ के इन्तकाल संख्या 452 दिनांक 25.08.2004 की प्रमाणित प्रति, राजस्व ग्राम 22 ओ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 32/28 की प्रति, राजस्व ग्राम 24 ओ, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 119/120 की प्रति, राजस्व ग्राम 24 ओ, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 32/32 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, अंकतालिका कक्षा 2 की छायाप्रति, अंकतालिका कक्षा 8 की छायाप्रति, अंकतालिका कक्षा 6 की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादिया के द्वारा राजस्व ग्राम 22 ओ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 32/28 के मुरब्बा नम्बर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 38/1, 38/2, 38/3 की कुल 34.914 हैक्टेयर भूमि, राजस्व ग्राम 24 ओ, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 119/120 के मुरब्बा नम्बर 34, 35, 37 की कुल 13.231 हैक्टेयर भूमि व राजस्व ग्राम 24 ओ, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 32/32 के मुरब्बा नम्बर 43 की 2.454 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 चड सिंह के नाम दर्ज कुल 3.858 हैक्टेयर भूमि में से 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित किए जाने बाबत निवेदन किया है। अतः वाद पत्र वादिया, वादिया के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, वादिया के शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादिया अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर वादिया हरपिन्द्र कौर पुत्री चड सिंह को राजस्व ग्राम 22 ओ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 32/28 के मुरब्बा नम्बर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 38/1, 38/2, 38/3 की कुल 34.914 हैक्टेयर भूमि, राजस्व ग्राम 24 ओ, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 119/120 के मुरब्बा नम्बर 34, 35, 37 की कुल 13.231 हैक्टेयर भूमि व राजस्व ग्राम 24 ओ, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 32/32 के मुरब्बा नम्बर 43 की 2.454 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 चड सिंह के नाम दर्ज कुल 3.858 हैक्टेयर भूमि में से 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 14.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

हरपिन्द्र कौर बनाम चड सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 88, 188 आर०टी०ए०

मुकदमा नम्बर 293/2023

निर्णय दिनांक :- 14.06.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादिया अधिवक्ता श्री सतीश कुमार अरोडा उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादिया अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर वादिया हरपिन्द्र कौर पुत्री चड सिंह को राजस्व ग्राम 22 ओ ए, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 32/28 के मुरब्बा नम्बर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 38/1, 38/2, 38/3 की कुल 34.914 हैक्टेयर भूमि, राजस्व ग्राम 24 ओ, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 119/120 के मुरब्बा नम्बर 34, 35, 37 की कुल 13.231 हैक्टेयर भूमि व राजस्व ग्राम 24 ओ, पटवार हल्का रडेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 32/32 के मुरब्बा नम्बर 43 की 2.454 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 चड सिंह के नाम दर्ज कुल 3.858 हैक्टेयर भूमि में से 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 14.06.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	04	00	योग	00	00

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक-कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

श्री करणपुर

दिनांक: 14.06.2024

क्रमांकः रीडर/2024/289

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक-कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

श्री करणपुर